न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर

राजस्व वाद 185/2022 (2022/808)

1. संग्राम सिंह पुत्र समुद्र सिंह जाति राजपूत निवासी केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर
2. मणीराज सिंह पुत्र समुद्र सिंह जाति राजपूत निवासी केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर

———प्रार्थीगण

♠ बनाम ♠

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर

——अप्रार्थी

2. गुलाब सिंह पुत्र बेरिसाल सिंह जाति राजपूत निवासी बूंदी जिला बूंदी
3. तेज सिंह पुत्र भंवरसिंह
4. विक्रम सिंह पुत्र भंवर सिंह
5. हिम्मत कंवर पुत्री भंवर सिंह
6. दशरथ सिंह पुत्र समुद्र सिंह
7. दुर्गेश कंवर पत्नि हनुमान सिंह
8. प्रियांशी चोहान पुत्री हनुमान सिंह नाबालिग जरिये माता वली दुर्गेश कंवर
9. तनीशका चोहान पुत्री हनुमान सिंह नाबालिग जरिये माता वली दुर्गेश कंवर
   समस्त जाति राजपूत निवासीगण केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर राजस्थान
10. नन्द सिंह पुत्र दरियाव सिंह
11. आशा कंवर पुत्री दरियाव सिंह
12. हेमा कंवर पुत्री दरियाव सिंह
13. कैलाश कंवर पत्नि समुद्र सिंह जाति राजपूत निवी केकड़ी
    समस्त जाति राजपूत निवासीगण कोटा जिला कोटा राजस्थान

——प्रफोर्मा अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थितः—
श्री शिवप्रसाद पाराशर :— अधिवक्ता प्रार्थी
पेराकार सरकार :— जरिये तहसीलदार केकडी

आदेश

दिनांक 17/4/23

पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत वादवर्णित आराजीयात वाके ग्राम केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर में स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है—

खाता संख्या नया—पुराना	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
856—1214	8038	0.57	बारानी 2
	8039	0.73	बारानी 2
	कुल किता 2	कुल रकबा 1.30 हैक्टर	

उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण व प्रफोर्मा अप्रार्थीगण के कब्जे काश्त स्वामित्व आधिपत्य की आराजीयात है जिसमें प्रार्थीगण व प्रफोर्मा अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त निरन्तर संयुक्त रूप से चला आ रहा

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

है। प्रार्थीगण अपने कृषि आराजीयात में तारबंदी का कार्य करवाना चाहता है जिसके लिए उनकी खातेदारी में स्थायी पत्थरगढी होकर सीमांकन हो जावे तो खेत के पडोसी की भूमि को लेकर मोके पर किसी प्रकार विवाद नही हो जिससे प्रार्थीगण की उक्त आराजीयात की पत्थरगढी किया जाना न्यायोचित एंव आवश्यक है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी के कार्यालय में उक्त आराजी की स्थायी पत्थरगढी करने का निवेदन किया तो अप्रार्थी द्वारा श्रीमान उपखण्ड अधिकारी के समक्ष वाद प्रस्तुत करके आदेश लाने के उपरान्त पत्थरगढी किया जाना अवगत करवाया गया जिससे यह प्रार्थनापत्र पेश करना लाजमी आया है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजीयात की स्थायी पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया है।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी की ओर से जवाब सरकार की टिप्पणी अंकित की गई जिसके अनुसार प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजी खातेदारी में दर्ज है, राजहित प्रभावित नहीं होता है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उपस्थित पक्षकारान की बहस सुनी जाकर बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण, प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी के खातेदार काश्तकार है। खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भू.रा.अधि. के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकडी वाके ग्राम/कस्बा केकड़ी तहसील केकडी की जमाबन्दी के खाता संख्या नया पुराना 856–1214 में दर्ज खसरा संख्या 8038, 8039 कुल किता 2 कुल रकबा 1.30 हैक्टर की पत्थरगढी प्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें। आदेश आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जि. अजमेर
सत्यमेव जयते

Scanned with OKEN Scanner